एपीपी – ए
फार्म 1

प्रपत्र संख्या – III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी जिला जोधपुर राज.

किस्म मुकदमा 136,131 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बर 01 / 2020
अनवान एमणों बनाम तहसीलदार फलौदी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जद	नम्बर व तारीख अहकाम ज[illegible] इस हुक्म [illegible] तामील म[illegible] जारी हु[illegible]
28/8/20	प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है की ग्राम बापीणी तहसील फलौदी के खेत खसरा संख्या 361 / 1 रकबा 6 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रैस में की गई गलत एवं विधि विरुद्व तरमीम को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क अनुसार दुरुस्त किये जाने का आदेश तहसीलदा फलौदी को फरमया जावें। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। तहसीलदार फलौदी से मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी जो शामिल मिसल की गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।	

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 131,136 स्वीकार किया जाता है ग्राम बापीणी पटवार हल्का लोर्डिया के खेत खसरा संख्या 361 / 1 रकबा 6 बीघा किस्म बारानी–2 की वर्तमान में की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर मौका फर्द दिनांक 19.02.2020 में मार्क ए बी सी डी ई एफ के अनुसार किये जाने का आदेश तहसीलदार फलौदी को दिये जाते है मौका फर्द दिनांक 19.02. 2020 निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/08/2020 को सुनाया गया।

(यशपाल अहूजा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
फलौदी

उपखण्ड अधिकारी, फलौदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.16 18:35:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner